मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना

उद्वेश्यः—

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद,निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विघवा/परित्यक्ता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना शिरू करने का निर्णय लिया गया है ।

योजना का विस्तारः—

इस योजना का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा तथा यह योजना एक अप्रेल 2006 से प्रभावशील है ।

पात्रता की शर्तेः—

1. मध्यप्रदेश की निवासी हो तथा परिवार मध्यप्रदेश में निवासरत हो ।
2. निराश्रित एवं निार्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।

सहायता राशिः—

शासन द्वारा प्रावधानित बजट या जिला स्तर पर संग्रहित निराश्रित निधि से या इस हेतु चंदा से प्राप्त दान की राशि से प्रति आवेदक के मान से रूपये 5,000/—(रूपये पांच हजार) केवल कन्या की गृहस्थी की व्यवस्था/स्थापना हेतु तथा इसके अतिरिक्त प्रति आवेदक रूपये 1000/—(रूपये एक हजार) सामूहिक विवाह आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ती हेतु कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रायोजक को राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

<u>प्रायोजकः—</u>

पंचायतें, नगरीय निकाय एवं पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाऐं ।

<u>चयन समितिः—</u>

जिला स्तर पर दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके द्वारा पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा ।

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष — कलेक्टर

सचिव — जिला अधिकारी, पंचायत एवं सामाजिक न्याय

सदस्य — पुलिस अधीक्षक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला अधिकारी, आदिमजाति कल्याण विभाग

जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
कलेक्टर द्वारा साधारण सभा के सदस्यों मे से विषय विशेषज्ञ तीन सदस्य नामांकित किये जा सकेंगे ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

आवेदन पत्र मिशन के सचिव(जिला कलेक्टर)/सांसद/विधायक को आर्थिक सहायता हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे । सचिव सभी आवेदन पत्रों को पंजीयन करायेंगे । सचिव आवेदकों की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति का जांच प्रतिवेदन संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करेंगे।

सहायता राशि जारी करना:–

कार्यकारिणी समिति द्वारा चयनित आवेदकों के सामूहिक विवाह हेतु आयोजक को सहायता राशि मिशन के कोष से सचिव द्वारा चेक से सामूहिक विवाह के आयोजन की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व दी जाएगी ।

विवाहों का पंजीयन:–

विवाहों का पंजीयन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवाहित दंपत्ती को उपलब्ध कराना कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे ।

निराश्रित/निर्धन विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु साहयता राशि का आवेदन –पत्र

1. कन्या/विधवा/परित्यक्ता का नाम और पूर्ण पता जिसके विवाह हेतु सहायता राशि की मांग की जा रही है.
2. कन्या/विधवा/परित्यक्ता के माता एवं पिता का नाम तथा पूर्ण पता.
3. जन्मतिथि/उम्र
4. जाति
5. निवास का स्थायी पूर्ण पता–
6. कृषि भूमि या आय का अन्य साधन, (यदि कोई हो).
7. वार्षिक आय का विवरण
8. आवेदक का पूरा नाम एवं पता–
9. कन्या/विधवा/परित्यक्ता से आवेदक का नाता (संबंध)

10. बी.पी.एल.क्रमांक(यदि है तो)

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
डाक का पता
दिनांक

जॉच प्रतिवेदन

1. कन्या/विधवा/परित्यक्ता का नाम और पूर्ण पता जिसके विवाह हेतु सहायता राशि की मांग की जा रही है.
2. कन्या/विधवा/परित्यक्ता के माता एवं पिता का नाम तथा पूर्ण पता.
3. कन्या/विधवा/परित्यक्ता का पता
4. उम्र/जन्म की तारीख
5. परिवार के आय के साधन और परिवार की वार्षिक आय.
6. अन्य जानकारी ....
7. निष्कर्ष

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
नाम
सील

....
कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(नगरीय क्षेत्र के लिए)